

कार्यालय संख्या 1275 / को.को.सि.वि.
दिनांक 10/12/25

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
राज्य बाँध सुरक्षा संगठन एवं नोडल अधिकारी एस0पी0एम0यू0
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,
वाल्मी भवन, तेलीबाग, लखनऊ

पत्रांक /मु0अ0रा0बाँ0सु0सं0/बजट (सामान्य अनुरक्षण)/
कार्यालय ज्ञाप

दिनांक: 4/02 जनवरी 2025

इस कार्यालय के ज्ञाप सं0-77/मु0अ0रा0बाँ0सु0सं0/बजट (सामान्य अनुरक्षण) दिनांक 05.11.2024 द्वारा सोन संगठन, वाराणसी के नियंत्रणाधीन खण्डों को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में मद सं0-2700 में रु0 34.00 लाख, 2701 में रु0 145.00 लाख एवं 2702 में रु0 9.30 लाख मात्र का आवंटन किया गया है, जिसके सापेक्ष मुख्य अभियन्ता (सोन) द्वारा अपने पत्रांक-11040/सोन/92बी-अनु0/2701/2024-25, दिनांक 14.11.2024 मद सं0-2700 में रु0 34.00 लाख, 2701 में रु0 115.00 लाख एवं 2702 में रु0 9.3 लाख मात्र के अन्तरण का प्रस्ताव ही उपलब्ध कराया गया।

मुख्य अभियन्ता (सोन) से प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप सोन संगठन के नियंत्रणाधीन खण्डों को धनराशि का अन्तरण हो चुका है। मुख्य अभियन्ता (सोन) के उक्त पत्र में यह उल्लेख है कि ट्रिप फेज-2 के अन्तर्गत अदवाँ बाँध तथा चन्द्रप्रभा बाँध एवं नौगढ़ बाँध के पुनरोद्धार की परियोजना पर अनुबंध गठित कर कार्य प्रगति पर होने के कारण बाँधों पर ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अन्तरण की माँग नहीं की गयी है।

उक्त के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञाप सं0-77/मु0अ0रा0बाँ0 सु0सं0/बजट (सामान्य अनुरक्षण) दिनांक 05.11.2024 द्वारा अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), 2701-मध्यम सिंचाई, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 10-निर्दिष्ट बाँधों के (बाँध/बैराज/बंधी/वियर/लेक) ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स, 29-अनुरक्षण मद में अदवाँ बाँध को आवंटित रु0 5.00 लाख, चन्द्रप्रभा बाँध को आवंटित रु0 7.00 लाख एवं नौगढ़ बाँध को आवंटित रु0 18.00 लाख मात्र की धनराशि के आवंटन को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

ज्ञानेन्द्र शरण
मुख्य अभियन्ता (रा0बाँ0सु0सं0)

पत्रांक 03 /मु0अ0रा0बाँ0सु0सं0/ बजट (सामान्य अनुरक्षण)/तददिनांक: 04/02/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1/2), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1/2), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, (तकनीकी सलाहकार-बाँध सुरक्षा), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (सोन), वाराणसी को उनके पत्रांक-11040/सोन/92बी-अनु0/2701/2024-25, दिनांक 14.11.2024 के संदर्भ में।
7. अधीक्षण अभियन्ता, (कम्प्यूटर केन्द्र), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता (रुहेलखण्ड), बाँध सुरक्षा मण्डल, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी/ सिंचाई कार्य मण्डल, मीरजापुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, चुनार, मीरजापुर/ शिरसी बाँध प्रखण्ड, मीरजापुर/ मीरजापुर नहर खण्ड, मीरजापुर/ चन्द्रप्रभा प्रखण्ड, मुगलसराय, चन्दौली।

शीमती शाखा, OS-I

rec mail
07/02/25-

SPU 8/2/25

ज्ञानेन्द्र शरण
मुख्य अभियन्ता (रा0बाँ0सु0सं0)